रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11032025-261547
CG-DL-E-11032025-261547

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1106] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2025/फाल्गुन 20, 1946
No. 1106 NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2025/PHALGUNA 20, 1946

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2025

का.आ. 1115(अ).— उमर फारूक की अध्यक्षता वाली आवामी एक्शन कमेटी (जिसे इसमें इसके पश्चात एएसी कहा गया है) विधिविरुद्ध क्रियाकलापों में लिप्त है, जो कि देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकर है;

और, एएसी के सदस्य जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने और पृथकतावाद का बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार में सम्मिलित हैं;

और, एएसी के नेता और सदस्य जम्मू और कश्मीर में पृथकतावादी, अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करने सहित विधिविरुद्ध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए धन जुटाने में ,सम्मिलित रहे हैं;

और, एएसी और इसके सदस्य अपनी गतिविधियों से देश के संवैधानिक सत्ता और संवैधानिक व्यवस्था के प्रति सरासर अनादर दिखाते हैं;

और, एएसी राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में-सम्मिलित होकर जम्मू और कश्मीर के भारत से पृथक्करण को उकसाने और बढ़ावा देने; लोगों में वैमनस्य का बीज बोने; लोगों को कानून और व्यवस्था को अस्थिर करने के लिए प्रेरित करने; जम्मू और कश्मीर को भारत संघ से अलग करने के लिए शस्त्र उठाने और स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा को बढ़ावा देने में सम्मिलित है;

और, केन्द्रीय सरकार की राय है की एएसी ऐसी गतिविधियों में लिप्त है जो देश कि अखंडता और सुरक्षा के प्रतिकूल हैं, जो अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित पर आधारित है, अर्थात:

(1) राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 18 जनवरी, 2018 को एनआईए विशेष न्यायालय, पटियाला हाउस, नई दिल्ली के समक्ष आफताब अहमद शाह उर्फ शाहिद-उल-इस्लाम (एएसी के प्रवक्ता और मीडिया सलाहकार) और 11 अन्य के विरुद्ध आरसी 10/2017 में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 ख, 121, 121 क और 124 क और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण), अधिनियम की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 39 और 40 के अधीन आरोप पत्र दायर किया है;

(2) उमर फारूक के विरुद्ध, भारत सरकार के विरुद्ध भाषण देने और लोगों से चुनाव इत्यादि में बहिष्कार करने के लिए जोर देने के आरोप में नौहट्टा पुलिस स्टेशन, श्रीनगर में धारा 120 ख और 153 रणबीर दंड संहिता और विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के अधीन मामला अपराध संख्या 96/2008 पंजीकृत किया गया है;

(3) उमर फारूक और अन्य लोगों के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध भाषण देने और लोगों को भड़काने तथा राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के लिए सफाकदल पुलिस स्टेशन, श्रीनगर में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के अधीन मामला अपराध संख्या 128/2010 दर्ज किया गया है;

(4) उमर फारूक, मुश्ताक-उल-इस्लाम, निसार अहमद राठेर और निसार अहमद भट के विरुद्ध, भारत की अखंडता के विरुद्ध नारे लगाने तथा भाषण देने के लिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे तब तक संघर्ष करेंगे जब तक जम्मू और कश्मीर भारत संघ से अलग नहीं हो जाता और पथराव भी करने के लिए, कोठीबाग पुलिस स्टेशन, श्रीनगर में, रणबीर दंड संहिता की धारा 436, 153 (क), 109, 147, और 336, तथा विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के अधीन अपराध संख्या 60/2010 पंजीकृत किया गया है;

(5) उमर फारूक के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के अधीन कोठी बाग पुलिस स्टेशन, श्रीनगर में मामला अपराध संख्या 56/2011 दर्ज किया गया है, जिसमें उसने 03 अगस्त, 2011 को सैयद अली शाह गिलानी द्वारा दिए गए हड़ताल के आह्वान का समर्थन किया और भारत की संप्रभुता के विरुद्ध घाटी के आम लोगों और युवाओं को युद्ध छेड़ने के लिए उकसाया;

और, केन्द्रीय सरकार की यह भी राय है कि यदि आवामी एक्शन कमेटी (एएसी) के विधिविरुद्ध क्रियाकलापों पर तत्काल अंकुश या नियंत्रण नहीं किया जाता है, तो वह इस अवसर का उपयोग निम्नलिखित के लिए करेगा –

(i) राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को जारी रखने के लिए; जो कि देश की क्षेत्रीय अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता के लिए हानिकर हैं;

(ii) भारत संघ में इसके विलय पर विवाद खड़ा करते हुए जम्मू और कश्मीर को भारत संघ से अलग करने की लगातार वकालत जारी रखने के लिए;

(iii) भारत के विरुद्ध असंतोष पैदा करने और लोक व्यवस्था को बाधित करने के इरादे से जम्मू और कश्मीर के लोगों के बीच मिथ्या कथन गढ़ने और राष्ट्र विरोधी भावनाओं का प्रचार जारी रखने के लिए; और

(iv) देश में अलगाववादी गतिविधयों को बढ़ावा देना, उग्रवाद का समर्थन करना और हिंसा भड़काने के लिए;

और, उपर्युक्त कारणों से केन्द्रीय सरकार का दृढ़ मत है कि आवामी एक्शन कमेटी (एएसी) की गतिविधियों को देखते हुए, आवामी एक्शन कमेटी (एएसी) को तत्काल प्रभाव से एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आवामी एक्शन कमेटी (एएसी) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करती है;

उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए, केन्द्रीय सरकार का दृढ़ मत है कि आवामी एक्शन कमेटी (एएसी) को तत्काल प्रभाव से एक विधिविरुद्ध संगम घोषित करना आवश्यक है, और तदनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि यह अधिसूचना, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन किए जा सकने वाले किसी आदेश के शर्ताधीन, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

[फा. सं. 14017/2/2025/एनआई-एमएफओ]

अभिजीत सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2025

S.O. 1115(E).—Whereas, the Awami Action Committee (hereinafter referred to as the AAC), chaired by Umar Farooq is indulging in unlawful activities, which are prejudicial to the integrity, sovereignty and security of the country;

And, whereas, members of the AAC have remained involved in supporting terrorist activities and anti-India propaganda for fuelling secessionism in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the leaders and members of AAC have been involved in mobilising funds for perpetrating unlawful activities, including supporting secessionist, separatist and terrorist activities in Jammu and Kashmir;

And, whereas, the AAC and its members by their activities show sheer disrespect towards the constitutional authority and constitutional set up of the country;

And, whereas, AAC is involved in promoting and aiding the secession of Jammu and Kashmir from India by involving in anti-national and subversive activities; sowing seeds of dis-affection amongst people; exhorting people to destabilise law and order; encouraging the use of arms to separate Jammu and Kashmir from the Union of India and promoting hatred against established Government;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that AAC is indulging in the activities which are prejudicial to the integrity and security of the country, inter alia, on the following grounds, namely: -

(1) National Investigation Agency has filed charge sheet against Aftab Ahmad Shah @ Shahid-ul-Islam (spokesman and media advisor of AAC) and 11 others before the NIA Special Court, Patiala House, New Delhi in RC 10/2017 on January 18, 2018 under sections 120B, 121, 121A and 124A of Indian Penal Code and sections 13, 16, 17, 18, 20, 39 and 40 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;

(2) Case Crime No. 96/2008 has been registered at Nowhatta Police Station, Srinagar under section 120B and 153 Ranbir Penal Code and section 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against Umar Farooq for delivering a speech against the Government of India and for stressing upon the people for elections boycott etc;

(3) Case Crime No. 128/2010 has been registered at Safakadal Police Station, Srinagar under section 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against Umar Farooq and others for delivering a lecture and provoking the people against the Government and for raising anti-national slogans;

(4) Case Crime No. 60/2010 has been registered at Kothi Bagh Police Station, Srinagar under section 436,153A, 109,147, and 336 of Ranbir Penal Code and section 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against Umar Farooq, Mushtaq-ul-Islam, Nisar Ahmad Rather and Nisar Ahmad Bhat for shouting slogans against the integrity of India and for delivering a speech stating that they would struggle till Jammu and Kashmir is not separated from Union of India, and for also pelting stones;

(5) Case Crime No. 56/2011 has been registered at Kothi Bagh Police Station, Srinagar under section 13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 against Umar Farooq, wherein, he supported the Hartal call given by Syed Ali Shah Geelani for 03 August, 2011 and for instigating the general people and the youth of valley for waging war against the sovereignty of India;

And, whereas, the Central Government is further of the opinion that if there is no immediate curb or control of unlawful activities of the Awami Action Committee (AAC), it will use this opportunity to –

(i) continue with the anti-national activities which are detrimental to the territorial integrity, security and sovereignty of the country;

(ii) continue advocating the secession of Jammu and Kashmir from the Union of India while disputing its accession to the Union of India;

(iii) continue propagating false narrative and anti-national sentiments among the people of Jammu and Kashmir with the intention to cause disaffection against India and disrupt public order; and

(iv) escalate secessionist movements, support militancy and incite violence in the country;

And, whereas, the Central Government for the above mentioned reasons is firmly of the opinion that having regard to the activities of the Awami Action Committee (AAC), it is necessary to declare the Awami Action Committee (AAC) as an unlawful association with immediate effect;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby declares the Awami Action Committee (AAC) as an unlawful association;

The Central Government, having regard to the above circumstances, is of firm opinion that it is necessary to declare the Awami Action Committee (AAC) as an unlawful association with immediate effect, and accordingly, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (3) of section 3 of the said Act, the Central Government hereby directs that this notification shall, subject to any order that may be made under section 4 of the said Act, have effect for a period of five years from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 14017/2/2025/NI-MFO]

ABHIJIT SINHA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.11 16:36:22 +05'30'